27/2/25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अंत में अन्य प्रा.पत्र O22 R3-4 CPC निरस्त किया जाता है। प्रा.पत्र प्रार्थीगण के फौत होने से अबेट होने के लिए किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया गया नत्थी से शामिल। आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2015/00269

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.28 11:29:37 IST
Reason: SelfAttested

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक जिलाधीश मुकाम सूरतगढ़।

पारी व अन्य बनाम श्रवण व अन्य।

प्रकरण सख्या 68 / 2015 किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आरटीए

GCMS No. 2015/00269

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
27/02/25	**प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 ,4 सीपीसी** पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व 4 व 151 सीपीसी हेतु पेश हुई। प्रकरण मे प्रार्थी हंसराज पुत्र पारीदेवी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 09.04.2021 को पेश कर निवेदन किया है कि उसकी माता प्रकरण की प्रार्थिया न 1 पारी का स्वर्गवास दिनांक 11.01.2016 को हो गया है। प्रार्थी ने अजमेर में निगरानी में तो अपनी माता का मृत्यू प्रमाण पत्र भिजवाकर प्रकरण मे पक्षकार .बनाने हेतू निवेदन कर दिया था परन्तु इस प्रकरण का प्रार्थी को ज्ञान नहीं था। अब दिनांक 21.03.2021 को अजमेर से जैर वाद रकबा की जमाबंदी का इत्यादि भेजने का फौन आया इस पर प्रार्थी पटवारी हल्का के पास जमाबंदी की नकल लाने गया व पटवारीयों की हड़ताल थी उसने जमाबंदी तो नहीं दी परन्तु उसने बताया कि इस रकबा का उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ का स्टे जारी है, उसी दिन प्रार्थी अपने वकील से मिला व बिना किसी देरी के यह प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी अनपढ़ व खेतीहर पशु चराने वाला काश्तकार है। इस प्रकरण का ज्ञान नहीं था प्रार्थी ने जानबुझ कर देरी नहीं की है इसलिए इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर पारी के स्थान पर उसके सभी 10 वारीसों को पक्षकार मुकदमा बनाया जावें। अप्रार्थी की और से जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज किया कि प्रार्थीया पारी दिनांक 11.01.2016 को फौत हो चुकी है। पांच साल तब कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया इस पर अप्रार्थी नं. 1 ने दिनांक 08.03.2021 को उक्त प्रकरण मे पारी के फौत हो जाने के प्श्चात कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश नही करने से अबेटमेंट के आधार पर यह प्रकरण निरस्त करने का निवेदन कर दिया तथा प्रार्थी ने इसके पश्चात दिनांक 09.04.2021 को नया प्रार्थना पत्र पेश किया तथा प्रार्थना पत्र के साथ मियाद अधिनियम 5 के प्रार्थना पत्र पर ना तो प्रार्थी हंसराज के हस्ताक्षर है व ना ही उसके अधिवक्ता के हस्ताक्षर है तथा विलम्ब का कोई सन्तोष जनक कारण नहीं दिया तथा प्रार्थीया न 2 सन्ती जो प्रार्थीया पारी की सगी बहिन है ने भी पारी के स्थान पर पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश नही किया, इसलिए पारी की मृत्यू के 90 दिन के पश्चात स्वतः ही प्रकरण अबेट हो गया है व स्वतः अवेटमेंट 60 दिन में निरस्त करवाने की कार्यवाही हो सकती थी व प्रार्थी [illegible] पत्र भी पेश नही किया यानी प्रार्थी ने आदेश 22 नियम [illegible] का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है इसलिए प्रार्थीया [illegible] फौत हो जाने से प्रार्थना पत्र 212 आरटीए अबेट हो [illegible] स्तर पर प्रार्थना पत्र खारीज किया जावें। कानूनी नजीर RBJ 2021 [illegible] नं. 117 व RRT 2013 द्वितीय पेज नं. 1415 व RRT 2010 पेज नं. 1458 SC की उभय पक्ष की बहस सुनकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया चुकिः यह बात सही है कि पारी देवी का दिनांक 11.01.2016 को स्वर्गवास हो चुका है तथा अप्रार्थी श्रवण ने इस प्रकरण में आदेश 22 नियम	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.28 11:29:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्र.सं. 68/2015
GCMS NO. 2015/00269

अनवान :- पारी व अन्य v/s श्रवण व अन्य

27/02/25

3 सीपीसी दिनांक 0803.2021 को पेश कर प्रकरण का स्वत अबेटमेंट मेंट हो जाने से निरस्त किया जाने का निवेदन किया इसके प्श्चात दिनाक 09.04. 2021 को प्रार्थी हंसराज पुत्र पारी ने प्रार्थना पत्र अतर्गत आदेश 22 नियम 3–4 सीपीसी व 151 सीपीसी का पेश कर मृतक के स्थान पर कायम मुकाम पेश करने का प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा इसके साथ मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में ना तो पक्षकार के हस्ताक्षर है व नहीं अधिवक्ता के हस्ताक्षर है। प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर है। जबकि प्रकरण में पारी के साथ सन्ती उर्फ शान्ति भी पक्षकार प्रार्थीया है उसने भी अवेटमेंट निरस्ती का प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश नहीं किया तथा पारी के वारीस ने भी पांच वर्ष से ज्यादा विलम्ब करते हुऐ प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा अवेटमेंट निरस्ती हेतू किसी भी पक्षकार ने आदेश 22 नियम 9 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया तथा प्रार्थना पत्र पेश करने में देरी का सन्तोष जनक कारण पेश नहीं किया, जबकि मृतक के कुल 10 वारीस है किसी भी वारीस ने अबेन्टमेन्ट निरस्ती का प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश नहीं किया है इसलिए यह प्रकरण प्रार्थीया की मृत्यू के पश्चात स्वतः अबेट हो चुका है। अधिवक्ता अप्रार्थी श्रवण द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर इस प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होती है। इसलिए अबेटमेन्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र 212 आटीए निरस्त किया जाना उचित समझता है।

अत : प्रार्थी हंसराज पुत्र पारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3–4 सीपीसी खारीज किया जाता है तथा इस प्रकरण में प्रार्थिया पारी देवी के फौत हो जाने के पश्चात प्रकरण स्वतः अबेट हो जाने से अबेटमेन्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र 212 आरटीए निरस्त किया जाता है तथा इस प्रकरण में पूर्व में पारी स्थगन दिनांक 04.05.2015 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर दफतर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संदीप कुमार)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.28 11:29:37 IST
Reason: SelfAttested